आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 107/2012** **शत्रुघ्न भगत बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2442 दिनांक 9/8/2012 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। दिनांक 10/1/2012 को एक जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच की गयी थी और जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कतिपय अनियमितताओं के विरूद्ध अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि उन्होंने अपने विरूद्ध लगाए गए सभी छः आरोपों का साक्ष्यों के साथ प्रतिकार किया। उनके विरूद्ध पहला आरोप यह था कि उन्होंने लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं की है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि लाभुकों की सूची अनुमंडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी, जो नहीं करायी गयी थी और इसलिए इस आदेश का पालन नहीं किया गया। उनके विरूद्ध दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं किया था। अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि उनका भंडार शून्य था और इसलिए किसी प्रकार का नमूना प्रदर्शित करने का प्रश्न ही नहीं था। अपीलकर्त्ता ने यह भी दलील दी कि उनके विरूद्ध तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने पंजियाँ अनुमंडल कार्यालय में जमा नहीं की थी। अपीलकर्त्ता ने इसे तर्कहीन बताते हुए कहा कि अनुमंडल कार्यालय द्वारा माँगे जाने पर पंजियाँ उन्हें उपलब्ध करायी गई थी और यह किसी प्रकार का आरोप नहीं हो सकता है। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि जहाँ तक माप-तौल के उपकरणों के सत्यापन नहीं कराए जाने का आरोप है, उन्होंने दिनांक 1/4/2011 को ही यह सत्यापन करा लिया था और इसका साक्ष्य भी उन्होंने अनुज्ञापन पदाधिकारी कार्यालय को दिया था। कैश मेमो नहीं देने और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने के आरोपों का भी खंडन करते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि इससे संबंधित किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं हैं।	

प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत् है और तथ्यों के पूर्ण परीक्षण पर आधारित है।

दोनों पक्षों को सुना और मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों के मद्देनजर उनके विरूद्ध एक भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है। लाभुकों की सूची उपलब्ध कराए बगैर उसके प्रदर्शन की माँग करना, अनुमंडल कार्यालय में पंजी जमा रहने पर उसे आरोप बनाना और माप-तौल सत्यापन से संबंधित अकाट्य साक्ष्य के बावजूद उपकरण को असत्यापित मानना विधि-सम्मत् नहीं है। उसी तरह भंडार पंजी शून्य होने के बाद संयुक्त नमूना प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं है। कैश मेमो नहीं देने या मूल्य से अधिक वसूली करने के आरोप भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत् नहीं है, जिसे निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

ज्ञापांक 252 / विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को उनके पत्रांक 41/गो० दिनांक 10-1-2013 द्वारा श्री शत्रुघ्न भगत बनाम सारण राज्य का मूल अभिलेख प्राप्त को आदेश के साथ मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - मूल अभिलेख श्री शत्रुघ्न भगत

वरीय उपसमाहर्ता, जिला विधि शाखा सारण, छपरा।

ज्ञापांक 252 / विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्ता, जिला विधि शाखा सारण, छपरा।
04/02/13